(c) whether ULFA had links with LTTE, AISSF and Nortn East Insurgent groups; and

(d) if so, what follow-up action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) Yes, Sir, such a statement was made.

(c) Yes, Sir.

(d) The armed forces launched Operation Rhino in aid of the civil administration of Assam. Some section of ULFA has offered to find a negotiated settlement within the frame work of the Indian Constitution and to abjure violence.

मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

3112. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवाद की समस्या मात्र कानून और व्यवस्था की स्थिति तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कई जटिल आर्थिक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कोई कार्य योजना प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावित जिलों के लोगों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है । योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई है तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 71875.37 लाख रुपये की कुल आवश्यकता है । इस बारे में इस इस मंत्रालय में विचार-विमर्श किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की संयुक्त समन्वय समिति (जे. सी.सी.) द्वारा जांच की जाएगी तथा उसके बाद संबंधित सरकारों द्वारा अपनी आठवीं योजना प्रस्तावों में उसका समावेश किया जाएगा । योजना आयोग द्वारा राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इन प्रस्तावों पर अनुमोदित केन्द्रीय सहायता फार्मूलों के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में पुलिस बल में वृद्धि

3113. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से 4,200 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त अस्थाई वृद्धि किये जाने के किसी प्रस्ताव को सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि मध्य प्रदेश होम गार्ड अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को उस राज्य में होम गार्ड बल की नफरी में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है, उस राज्य में होम गार्ड बल की नफरी में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृति न दिये जाने का क्या औचित्य है; और

(घ) पुलिस बल में 4,200 पुलिस कर्मियों की अस्थाई वृद्धि को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?